जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांक–जे0एन0सी0यू0 / सा0प्र0 / 10234 / 2026 दिनांकः 24 जुलाई, 2026

शीर्ष प्राथमिकता / समयबद्ध

सेवा में,

01. निदेशक शैक्षणिक,
विश्वविद्यालय परिसर।

02. प्राचार्य / प्राचार्या / प्रबन्धक
सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय,
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय,
बलिया।

विषयः–'मुख्यमन्त्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना' के शुभारम्भ कार्यक्रम के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक(उच्च शिक्षा), शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्याः डिग्री विकास / 08 / 2026–27, दिनांकः 24 जुलाई, 2026 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के पत्र संख्याः 745 / सत्तर–3–2026–2058874, दिनांकः 22 जुलाई, 2026 के अनुक्रम में मा0 मुख्यमन्त्री जी द्वारा दिनांकः 05 सितम्बर, 2025 को शिक्षक दिवस के अवसर पर उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों इत्यादि को कैशलेश सुविधा प्रदान करने की घोषणा के क्रम में मा0 मुख्यमन्त्री जी की अध्यक्षता में दिनांकः 26 जुलाई, 2026 को पूर्वाह्न में होने वाले कार्यक्रम के समानान्तर जनपदों में आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग किये जाने के दिशा–निर्देश प्रदान किये गये हैं।

तत्क्रम में माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि **उपरोक्त पत्रों मे वर्णित तथ्यों के आलोक में यथावांछित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।**

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय

(एस0एल0 पाल)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. माननीय कुलपति जी।
2. प्रभारी वेबसाईट को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने एवं कालेज लागिन में सम्प्रेषण हेतु।
3. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव

पताः–शहीद स्मारक, निकट सुरहा ताल, जिला–बलिया,उ0प्र0 पिन कोडः–277001
Address:- Saheed Smarak, Near Surha Taal, Dist-Ballia, U.P. Pin Code-277001
Website:-www.jncu.ac.inE-mail :- jncuballia@gmail.com

कार्यालय शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आज्ञा संख्या – डिग्री विकास/ **08** /2026 – 27 दिनांक – **24 जुलाई, 2026**

कार्यालय – ज्ञाप

उत्तर प्रदेश शासन अनुभाग – 3 के पत्र संख्या 745/सत्तर – 3 – 2026 – 2058874 दिनांक 22 जुलाई, 2026 के क्रम में अवगत कराना है कि मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 05 सितम्बर, 2025 को शिक्षक दिवस के अवसर पर उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों इत्यादि को कैशलेस सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में घोषणा की गयी थी। तत्क्रम में शासनादेश संख्या 260/सत्तर – 3–2026 –1975038 दिनांक 02 अप्रैल, 2026 द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों व स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को सरकारी चिकित्सालयों के अलावा निजी चिकित्सालयों में भी उपचार की सुविधा अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त कैशलेस उपचार सुविधा योजना का क्रियान्वयन स्टेट एजेंसी फार कम्प्रेहेन्सिव हेल्थ एण्ड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (SACHIS) के माध्यम से किया जायेगा।

मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के समानान्तर जनपदों में दिनांक 26 जुलाई, 2026 दिन रविवार को पूर्वान्ह में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। अतएव प्रदेश के समस्त अनुदानित अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्राचार्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह स्वयं एवं अपने महाविद्यालय के समस्त स्टॉफ सहित उक्त कार्यक्रम में जनपद स्तर पर चयनित कार्यक्रम स्थल में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें।

भवदीय,

24/7/26

डॉ0 (ज्ञान प्रकाश वर्मा),
संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
कृते शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पृष्ठांकन संख्या – डिग्री विकास/ **1086 – 88** /उसी तिथि को।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग – 3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से समस्त को सूचित करने का कष्ट करें।
3. समस्त कुलसचिव, राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से सम्बन्धित को सूचित करने का कष्ट करें।

24/7/26

डॉ0 (ज्ञान प्रकाश वर्मा),
संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
कृते शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

संख्या- 745 /सत्तर-3-2026-2058874

प्रेषक,

एम०पी० अग्रवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त,**
   उत्तर प्रदेश।
2. **कुलपति,**
   समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
   उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
3. **समस्त जिलाधिकारी,**
   उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ, दिनांक:22 जुलाई, 2026**

विषय:- 'मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना' का शुभारम्भ कार्यक्रम के संबंध में।

महोदय,

मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 05 सितम्बर, 2025 को शिक्षक दिवस के अवसर पर उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों इत्यादि को कैशलेस सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में घोषणा की गयी थी। तत्क्रम में शासनादेश संख्या-260/सत्तर-3-2026-1975038 दिनांक अप्रैल, 2026 द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों व स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को सरकारी चिकित्सालयों के अलावा निजी चिकित्सालयों में भी उपचार की सुविधा अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त कैशलेस उपचार सुविधा योजना का क्रियान्वयन स्टेट एजेंसी फार कम्प्रेहेन्सिव हेल्थ एण्ड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (SACHIS) के माध्यम से किया जायेगा।

2- उल्लेखनीय है कि 'मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना' का शुभारम्भ कार्यक्रम मा० मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 26 जुलाई, 2026 को पूर्वाह्न में जनपद-आगरा के डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के खंदारी कैम्पस में किया जाना है। कार्यक्रम का सजीव प्रसारण दूरदर्शन एवं मा0 मुख्यमंत्री जी के सोशल मीडिया हैण्डल्स से किया जायेगा, जिसका लिंक पृथक से शेयर किया जायेगा।

3- मा० मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के समानान्तर जनपदों में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित कराया जाये। उक्त कार्यक्रम के स्थान का निर्धारण जिलाधिकारी द्वारा स्वस्तर से किया जायेगा, जिसमें जन सामान्य के साथ-साथ मा0 प्रभारी मंत्री/सांसद/विधायक/विधान परिषद सदस्य/जिला पंचायत सदस्य आदि जनप्रतिनिधिगणों को आमंत्रित किया जाये एवं मंच से जनपद स्तर पर 20-20 'मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना' का कैशलेस कार्ड वितरित किया जाये। इसके साथ ही

कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी / अन्य जिला स्तरीय अधिकारी, शिक्षक, छात्र एवं अभिभावक / स्वयंसेवी संगठन एवं समुदाय के जनप्रतिनिधि की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। जनपदों में आयोजित कार्यक्रमों में मा० मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के सजीव प्रसारण को दिखाया जाए।

4. मुख्य कार्यक्रम आयोजित कराये जाने के सम्बन्ध में जनपद आगरा को रू० 5.00 लाख एवं अन्य जनपदों को रू० 1.00 लाख की धनराशि की लिमिट निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के स्तर से निर्गत की जा रही है। उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों के क्रम में जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त व्यय किया जायेगा।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु समयबद्ध कार्यवाही पूर्ण करायी जाय।

भवदीय,
Digitally signed by
MAHENDRA PRASAD AGRAWAL
Date 22-07-2026 17:53:45
(एम०पी० अग्रवाल)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,उ0प्र0, लखनऊ।
4. नोडल अधिकारी, 'मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना' , उच्च शिक्षा विभाग तथा डॉ0 बी0एल0 शर्मा, सहायक निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उच्च शिक्षा विभाग।
5. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
6. प्राचार्य, राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
7. विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, प्रकोष्ठ, लखनऊ।

आज्ञा से,
Digitally signed by
NIDHI SRIVASTAVA
Date: 22-07-2026
18:32:38
(निधि श्रीवास्तव)
विशेष सचिव

कार्यालय, शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पृष्ठांकन संख्याः डिग्री सेवा/18 /2026–27 दिनांक 23.07.2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
4. प्राचार्य, राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय, समस्त जनपद उत्तर प्रदेश।
5. विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ, लखनऊ।
6. प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

डॉ0 (मोनिका सिंह)
शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा),
उ0प्र0, प्रयागराज।
शिविर कार्यालय, लखनऊ।

शिक्षा निदेशक (उ.शि.)
उत्तर प्रदेश, कैम्प कार्यालय,
लखनऊ